न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–अक्षत कुमार सिंह (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
332 / 2025	09.06.2025	13.08.2025

उनवान

1. गेंद कंवर पत्नी श्री स्व. नन्द सिंह राजपूत निवासी–जित्याखेडी भीलवाडा
2. घनश्याम कँवर पुत्री श्री नन्दसिंह राजपूत निवासी निवासी जित्याखेडी भीलवाडा
3. दशरथ कँवर पुत्री श्री नन्दसिंह राजपूत निवासी–जित्याखेडी तहसील व जिला भीलवाडा
4. रघुनाथ सिंह पुत्र श्री नंदसिंह राजपूत निवासी–जित्याखेडी तहसील व जिला भीलवाडा
5. रघुवीर सिंह पुत्र श्री नन्दसिंह राजपूत निवासी–जित्याखेडी तहसील व जिला भीलवाडा
6. राम कँवर पुत्री श्री नन्दसिंह राजपूत निवासी जित्याखेडी तहसील व जिला भीलवाडा

—प्रार्थीगण

बनाम

1. छीतर सिंह पुत्र श्री कानसिंह राजपूत निवासी जित्याखेडी तहसील व जिला भीलवाडा
2. भैरू सिंह पुत्र श्री रूपसिंह राजपूत निवासी जित्याखेडी तहसील व जिला भीलवाडा
3. देबी सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह राजपूत निवासी–जित्याखेडी तहसील व जिला भीलवाडा
4. नारायण सिंह पुत्र श्री रामसिंह राजपूत निवासी जिल्याखेडी तहसील व जिला भीलवाडा
5. दिनेश पुत्र श्री राम पाल अजमेरा निवासी मकान नम्बर 52 सुजुकी एन्क्लेव चितौड रोड भीलवाडा (राज०)
6. लेहरू पुत्र श्री हजारी नायक निवासी जित्याखेडी तहसील व जिला भीलवाडा
7. लादूलाल पुत्र श्री बालू नायक निवासी जित्याखेड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा
8. वन्दना पत्नी श्री सुनील पटवारी निवासी जूनावास भीलवाड़ा तहसील एंव जिला भीलवाडा।
9. राधेश्याम पुत्र श्री हीरा गाडरी निवासी जित्याखेडी तहसील व जिला भीलवाडा (राज०)
10. कालू पुत्र श्री भगवान गाडरी निवासी जित्याखेडी तहसील व जिला भीलवाडा (राज०)
11. भेरू पुत्र श्री गुलाब गाडरी निवासी– जित्याखेडी तहसील व जिला भीलवाडा (राज०)
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा (राज०)

—— विपक्षीगण

उपस्थितः–

1. अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री पृथ्वीराज चौधरी उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 11 उपस्थित नहीं

:– प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :–

Akshat

उपखण्ड अधिकारी

भीलवाड़ा

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम जित्याखेडी पटवार हल्का दान्थल भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र दान्थल तहसील व जिला भीलवाड़ा की आराजी संख्या 1537/258 रकबा 0.1644 हैक्टेयर, आराजी संख्या 240 रकबा 0.0126 हैक्टेयर, आराजी संख्या 257 रकबा 1.1381 हैक्टेयर, आराजी संख्या 258 रकबा 0.1265 हैक्टेयर, आराजी संख्या 357 रकबा 0.1770 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और विपक्षीगण के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण उक्त वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 11 उपस्थित नहीं। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। मेंनें प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश हेतु नियत किया गया।

मेंने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण उक्त आराजियात के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे अपनी आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम जित्याखेडी पटवार हल्का दान्थल भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र दान्थल तहसील व जिला भीलवाड़ा की आराजी संख्या 1537/258 रकबा 0.1644 हैक्टेयर, आराजी संख्या 240 रकबा 0.0126 हैक्टेयर, आराजी संख्या 257 रकबा 1.1381 हैक्टेयर, आराजी संख्या 258 रकबा 0.1265 हैक्टेयर, आराजी संख्या 357 रकबा 0.1770 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000—00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 13.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षत कुमार सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा